

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

का.आ.सं. :- 03/स्था-13-02/2016 ज.सं...../ राँची, दिनांक : .....

-: **आदेश** :-

दिनांक 19.12.2016 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित कनीय अभियंताओं को स्थानान्तरित करते हुए सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ आई.डी./गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित प्रक्षेत्र	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्री नवीन कुमार, 2016/पू. चम्पारण/18.08.1993	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता, देवघर	
2	श्री प्रिंस वालिया, 2016/बरेली (उ.प्र.)/19.03.1993	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता, देवघर	
3	श्री शशि कुमार, 2016/भागलपुर/03.02.1990	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता, देवघर	
4	श्री रवि कुमार, 2016/जमशेदपुर/12.10.1988	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता, देवघर	
5	श्री मो. इकबाल अंसारी, 2016/गिरिडीह/03.01.1993	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता, देवघर	

2. विभागीय आदेश सं.-3518 दिनांक 14.11.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. उपर्युक्त अंकित कनीय अभियंताओं के योगदान स्वीकृति हेतु विभागीय आदेश सं.-3518 दिनांक 14.11.2016 में अंकित शर्तों का अनुपालन संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा किया जायेगा।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-  
( **मनोज कुमार** )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/ मुख्य अभियंता, देवघर/ प्रशाखा-08, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त वर्णित कनीय अभियंताओं को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर में योगदान हेतु विरमित कर देंगे।

मुख्य अभियंता, देवघर को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश सं.-3518 दिनांक 14.11.2016 में अंकित शर्तों के आलोक में योगदान स्वीकृत कर पदस्थापन हेतु कार्रवाई करेंगे।

ह./-  
( **मनोज कुमार** )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

4018

राँची, दिनांक :-

23/12/16

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

( **मनोज कुमार** )  
सरकार के अवर सचिव।  
23/12/16